प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 21.06.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना मंडावर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 23.10.2021 को वादी श्री दिनेश कुमार पुत्र मुनेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रतनपुर रियाया थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रतनपुर रियाया थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने अपने पिता कामेन्द्र के साथ शराब पीने को लेकर हुए झगडे में पास ही पडी फुकनी से कामेन्द्र के सर में कई वार किये तथा उसका गला घोट दिया, जिससे कामेन्द्र उपरोक्त की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 273/21 धारा 302 भादवि बनाम मनोज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 21.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-III, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 273/21 धारा 302 भादवि के आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रतनपुर रियाया थाना मंडावर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- मनोज कुमार पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रतनपुर रियाया थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

घटना के संबंध में तत्समय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।

बेटे ने पिता को दिया धक्का गिरने से हुई मौत

आरोपी।

मंडावर। नशे की हालत में झगड़ रहे ग्रामीण से उसके सौतेले बेटे ने मारपीट की। बेटे ने पिटाई करते हुए बाप को धक्का दे दिया। फर्श पर गिरकर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गैरइरादत हत्या के आरोप में केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मंडावर थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर रियाया का रहने वाला कामेंद्र (42) शराब पीने का आदी था। रोज की तरह शनिवार देर शाम कामेंद्र शराब के नशे में घर लौटा। उसके शराब पीने को लेकर घर में झगड़ा शुरू हो गया। बेटा मनोज अपने पिता कामेंद्र से झगड़ने लगा। दोनों में मारपीट हो गई। आरोप है कि मनोज ने अपने पिता कामेंद्र के साथ मारपीट की। इसी दौरान उसने अपने पिता को धक्का दे दिया। फर्श पर गिरने से सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। कुछ ही देर में कामेंद्र ने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई दिनेश कुमार ने भतीजे मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष सनोज कुमार ने बताया कि आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। संवाद

सौतेले पिता की फूंकनी से हत्या

शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता बिजनौर : शराब पीने को लेकर शनिवार रात गांव रतनपुर रियाया में पिता-पुत्र में विवाद हो गया। सौतेले बेटे ने फूंकनी से पिता के सिर में वार कर दिया। उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

48 वर्षीय कामेंद्र पुत्र मुनेंद्र शनिवार देर रात शराब पीकर घर आया। इसी बात को लेकर पत्नी मोना और बेटे मनोज से उसकी कहासुनी हो गई। मारपीट भी हुई। इस दौरान मनोज ने आग जलाने में इस्तेमाल होने वाली लोहे की फूंकनी पिता के सिर में मार दी। फूंकनी लगने से कामेंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें डाक्टर के पास ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। सीओ कुलदीप गुप्ता ने पुलिसबल के साथ मौका मुआयना किया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कामेंद्र के भाई दिनेश की तहरीर पर भतीजे मनोज के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मनोज को गिरफ्तार कर फूंकनी बरामद कर ली। कामेंद्र खेतीबाड़ी करते थे जबकि मनोज दिल्ली में मिठाई बनाने का काम करता था। दो माह पूर्व ही घर आया था। कामेंद्र के शराब पीने से घर में विवाद रहता था। सीओ कुलदीप गुप्ता का कहना है कि आपसी कलह के चलते घटना हुई है। कामेंद्र 2004 में ट्रक चालक था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह असम से मोना नाम की महिला को ले आया था। साथ में मनोज और उसके दो भाई साथ आए थे। उक्त तीनों बच्चे महिला के पूर्व पति के थे। कामेंद्र से एक बेटा और बेटी पैदा हुए। मनोज के दोनों बड़े भाई बाहर नौकरी करते हैं।

मनोज●

शराबी पिता को दिया धक्का जमीन में सिर लगने से मौत

मंडावर | संवाददाता

एक पुत्र ने अपने शराबी पिता को धक्का दे दिया। जिससे पिता का सिर फर्श पर लग गया। जिसके बाद आक्रोशित पुत्र ने पिता के सिर पर फुंकनी से वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पुत्र को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता-पुत्र में आये-दिन शराब को लेकर मारपीट होती रही थी।

मंडावार के गांव रतनपुर रियाया निवासी कामेंद्र (48 वर्ष) के घर में उसकी शराब पीने के कारण क्लेश रहता था। जिससे परिजनों के साथ-साथ आसपास के लोग भी परेशान रहते थे। कामेंद्र शनिवार की रात भी अपने घर शराब पीकर पहुंचा और परिजनों से झगड़ा करने लगा। जिससे आक्रोशित होकर पुत्र मनोज व पिता कामेंद्र में विवाद हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। जिसमे मनोज ने कामेंद्र को धक्का मार दिया। जिससे उसका सिर फर्श पर लग गया। पुलिस के मुताबिक आक्रोशित पुत्र यहां भी नही रूका उसने घर में रखी लोहे की फूंकनी से पिता के ऊपर वार कर दिया। जिसके कारण सिर से काफी खून बह गया और उसकी मौत हो गई। जब पड़ोसियों को मामले का पता चला, तो उन्होने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पुत्र को हिरासत में ले लिया। कामेंद्र के भाई दिनेश की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रिश्तों का कत्ल

- पुलिस ने आरोपी पुत्र को लिया हिरासत में, मृतक के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट
- पुलिस ने आरोपी पुत्र को लिया हिरासत में, मृतक के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट

"कामेंद्र शराब पीने का आदि था। जिसके कारण परिजनों के साथ-साथ आसपास के लोग भी परेशान रहते थे। शनिवार की रात कामेंद्र शराब पीकर घर पहुंचा था। इसी कारण पिता-पुत्र में मारपीट हुई और कामेंद्र फर्श पर गिर गया। उसकी मौत हो गई। आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। -**कुलदीप गुप्ता**, सीओ सिटी बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद दिनांक 21.06.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.06.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त ताजिम पुत्र जहीर कुरैशी निवासी ग्राम जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

ताजिम पुत्र जहीर कुरैशी निवासी ग्राम जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 भारत सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 461 प्रदीप बिष्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 21.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 257/23 धारा 323/308/504/427 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.05.2024 को वादी श्री विपिन कुमार पुत्र जगवीर सिंह निवासी ग्राम शादीपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 26.05.2024 को अभियुक्तगण 1.विशाल व 2.रितिक पुत्रगण कामेन्द्र निवासीगण ग्राम शादीपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने वादी के साथ गाली – गलौच करते हुए मारपीट की तथा वादी के सिर में डण्डा मारकर घायल कर दिया, जिससे वादी बेहोश हो गया व वादी का मोबाईल फोन भी टूट गया । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 257/24 धारा 323/308/504/427 भादवि बनाम विशाल व रितिक उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रितिक पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शादीपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है । अभियुक्त विशाल की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रितिक पुत्र कामेन्द्र निवासी ग्राम शादीपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 संजीव कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 1093 नवनीत कौशिक थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बिजनौर पुलिस

दिनांक – 21.06.2024

10वें 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर जनपदीय पुलिस द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन एवं समस्त थानों पर 'सामूहिक योगाभ्यास' कार्यक्रम आयोजित कर योगाभ्यास किया गया।

आज दिनांक 21.06.2024 को 10वें "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउण्ड में आयोजित भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण/पूर्वी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'सामूहिक योगाभ्यास' कार्यक्रम आयोजित कर योगाभ्यास किया गया।

रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर

थाना कोतवाली शहर

थाना मंडावर

थाना हल्दौर

महिला थाना बिजनौर

थाना नजीबाबाद

थाना नांगल

थाना किरतपुर

थाना मंडावली

थाना चांदपुर

थाना नूरपुर

थाना हीमपुर दीपा

थाना शिवालाकलां

महिला थाना, चांदपुर

थाना नगीना

थाना नगीना देहात

थाना कोतवाली देहात

<u>थाना बढापुर</u>

<u>थाना धामपुर</u>

थाना स्योहारा

थाना नहटौर

थाना अफजलगढ

थाना शेरकोट

थाना रेहड़